

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/92/2024

दिनांक- 08/04/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.सं. 92 / 2024 अनवान श्रीमति पुष्पा देवी पत्नी शिवजी राम मीणा निवासी शक्करगढ़ बनाम गंगा देवी पत्नी गंगाराम मीणा निवासी देवनगर, रामदेव पुत्र गंगाराम मीणा निवासी देवनगर, फोरू पुत्र गंगाराम मीणा निवासी देवनगर, महावीर पुत्र गंगाराम मीणा निवासी देवनगर, रूपनारायण पुत्र गंगाराम मीणा निवासी देवनगर, कालू पुत्र हीरा गुर्जर निवासी देवनगर, जमना पत्नी ओमप्रकाश रेगर निवासी ईटूदा, दिलखुश पुत्र ओमप्रकाश रेगर निवासी ईटूदा, संजीत पुत्र ओमप्रकाश रेगर निवासी ईटूदा, सोनिया पुत्री ओम प्रकाश रेगर निवासी ईटूदा, प्रियंका पुत्री ओमप्रकाश रेगर निवासी ईटूदा की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम देवनगर प.ह. बरोदा आराजी सं. 352/18, 352/31 कुल किता 02 रकबा 2.3018 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ़ को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 2000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे । पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं । पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

पुष्पा देवी पत्नी शिवजी राम मीणा निवासी शक्करगढ़
बनाम

गंगा देवी पत्नी गंगाराम मीणा निवासी देवनगर वगैरह

मुकदमा नंबर 92/2024

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

नम्बर व तारीख
अहकाम जो हुक्म की
तारीख में जारी हुये

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
08-04-24	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम देवनगर प.ह. बरोदा आराजी सं. 352/18, 352/31 कुल किता 02 रकबा 2.3018 हेक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2074 से 2077 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है। ग्राम देवनगर प.ह. बरोदा आराजी सं. 352/18, 352/31 कुल किता 02 रकबा 2.3018 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ़ को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 2000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 08/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (शाहपुरा)</p>